217 11.55

संख्या—1222/X—2—2017—12(34)2012

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग—2 देहरादून दिनांक 02 मई 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017—18 में अनुदान संख्या—27 के अंतर्गत राज्य सेक्टर योजना "वन्य जन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास" हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड के पत्र सं0 नि0—2043/3—5(वन्य जन्तु परि0) दिनांक 24.04.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017—18 में अनुदान सं0—27 के अंतर्गत राज्य सैक्टर योजना "**वन्य जन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास योजना**" हेतु निम्न विवरणानुसार **₹41.01 लाख (₹इक्तालीस लाख एक हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

अनुदान सं0—27

(धनराशि हजार में)

लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
2406—वानिकी तथा वन्य जीवन 02—पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110—वन्य जीवन परीरक्षण 08—वन्य जन्तु परीरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केंद्रों का विकास 04—यात्रा व्यय	200
25—लघु निर्माण	1667
26—मशीन साज—सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	133
29—अनुरक्षण	1167
42—अन्य व्यय	567
44—प्रशिक्षण व्यय	100
46—कम्प्युटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	100
47—कम्प्युटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	167
योग	**4101**

1. मानक मद 25—लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित कार्यों में किसी भी कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो। सर्वप्रथम गत वर्षो के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाय, तदोपरांत ही नए कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय।
2. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—312/3(150)/XXVII(1)/2007 दिनांक 31.03.2017 में दिये गये दिशा—निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

..........2

4. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
7. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
8. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–638/XXX–1–12(25) 2011, दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0–S1705270238 दिनांक 31.05.2017 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2007 दि0 31.03.17 के संदर्भ में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–1222/X–2–2017–12(34)2012 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

C:\Bhupendra Joshi\2017-18\वन्य जंतु परीक्षण योजना\G.O.docx

बजट आवंटन वितीय वर्ष - 20172018

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 1222/X-2-2017-12(34)2017

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1705270238

आवंटन पत्र दिनांक - 31-May-2017

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110 - वन्य जीवन परिरक्षण

08 - वन्य जन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास (2406 01 800 15 से स्थानान्तरित)

00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
04 - यात्रा व्यय	0	200000	200000
25 - लघु निर्माण कार्य	0	1667000	1667000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	133000	133000
29 - अनुरक्षण	0	1167000	1167000
42 - अन्य व्यय	0	567000	567000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	100000	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	100000	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	167000	167000
	0	**4101000**	**4101000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 4101000